


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2415]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2014/अग्रहायण 6, 1936

No. 2415]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2014/AGRAHAYANA 6, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2014

का.आ. 3004(अ).—अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 2 और धारा 24 की उप-धारा (8) के खंड (य) के साथ पठित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 46 की उप-धारा (i) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता को पीएमएलए के विशेष न्यायालय और अपीलीय/पुनरीक्षण और उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रतर्वन निदेशालय की ओर से 2 जी स्पेक्ट्रम से उठने वाले धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, आदि (2003 का 15) के तहत मामलों में से अभियोजन अपील/पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही संचालित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. सी-18015/09/2014-प्रशा.-ईडी]

प्रकृति श्रीवास्तव, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2014

S.O. 3004(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 46 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003), read with clause (u) of section 2 and sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Anand Grover, Senior Advocate, as Special Public Prosecutor for conducting prosecution, appeals/revisions or other proceedings out of the cases under the Prevention of Money Laundering Act, 2002, etc. (15 of 2003) arising out of 2G Spectrum cases on behalf of the Directorate of Enforcement before the Special Court of PMLA and appellate /revisional and higher Courts.

[F. No. C-18015/09/2014-Ad. ED]

PRAKRITI SRIVASTAVA, Director